



उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग,

हरिद्वार-249404

संख्या:-321/01/डी०आर०(डिग्री)/सेवा-2/2021-22

दिनांक : 22 मार्च, 2024

अनर्ह घोषित अभ्यर्थियों के प्रत्यावेदन निस्तारण की सूची

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि असिस्टेंट प्रोफेसर (राजकीय महाविद्यालय) चयन-2021 के अन्तर्गत असिस्टेंट प्रोफेसर राजनीति शास्त्र विषयान्तर्गत विज्ञप्ति दिनांक 08 दिसम्बर, 2023 के क्रम में अनर्ह सूची एवं अधिमानी अर्हता विषयक सूची के संबंध में अभ्यर्थियों को प्रत्यावेदन प्रस्तुत करने के लिए नियमानुसार 15 दिन दिनांक 22 दिसम्बर, 2023 तक समय प्रदान किया गया था, जिसके सापेक्ष अभ्यर्थियों द्वारा अभिलेख प्रस्तुत किये जाने की अंतिम तिथि तक प्राप्त प्रत्यावेदनों का परीक्षण करते हुए मात्र आयोग द्वारा प्राप्त प्रत्यावेदनों के क्रम में अन्तिम रूप से अनर्ह अभ्यर्थियों के प्रत्यावेदनों को निस्तारण निम्नवत् किया गया है:-

क्र० सं०	अनुक्रमांक	कार्यालय टीप
1	507358	अभ्यर्थी द्वारा अनर्हता के सापेक्ष वांछित Ph.D के लिए परिशिष्ट-3 प्रमाण-पत्र उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण अनर्ह किया गया है।
2	507675	अभ्यर्थी द्वारा अनर्हता के सापेक्ष वांछित नेट की उपाधि प्रस्तुत नहीं की गयी है, जिस कारण अभ्यर्थी कट ऑफ से बाहर है। अतः उक्तानुसार अभ्यर्थी कट-ऑफ में स्थान धारित नहीं करने के कारण अनर्ह किया गया है।
3	507778	अभ्यर्थी से अनर्हता के सापेक्ष वांछित टीचिंग अनुभव से संबंधित प्रमाण पत्रों के अभाव में कट ऑफ में स्थान धारित न करने के कारण अनर्ह किया गया है।
4	507926	अभ्यर्थी द्वारा अनर्हता के सापेक्ष वांछित नवीन अवार्ड संबंधी प्रमाण पत्रों के अभाव में विषय विशेषज्ञों द्वारा पूर्व में अभ्यर्थी को अवार्ड संबंधी प्रदान किये गये अंकों के आधार पर अभ्यर्थी कट-ऑफ में स्थान धारित न करने के कारण अनर्ह किया गया है।
5	508453	अभ्यर्थी द्वारा अनर्हता के सापेक्ष वांछित उत्तराखण्ड सरकार के निर्धारित प्रारूप पर वित्तीय वर्ष 2020-21 की आय के आधार पर निर्गत एवं वर्ष 2021-22 हेतु वांछित EWS प्रमाण पत्र प्रस्तुत न किये जाने के कारण अनर्ह किया गया है।
6	507396	अभ्यर्थी द्वारा अनर्हता के सापेक्ष वांछित Ph.D के लिए परिशिष्ट 3 के अनुसार प्रमाण पत्र संलग्न न किये जाने के कारण अभ्यर्थी को अनर्ह किया गया है।
7	507266	अनर्ह सूची के सापेक्ष प्रत्यावेदन/प्रमाण पत्र/अभिलेख आयोग कार्यालय में प्रस्तुत न करने के कारण अभ्यर्थी को मात्र आयोग द्वारा अनर्हता के संबंध में पूर्व में लिए गये निर्णय को यथावत रखते हुये अंतिम रूप से अनर्ह किया गया है।
8	508722	अनर्ह सूची के सापेक्ष प्रत्यावेदन/प्रमाण पत्र/अभिलेख आयोग कार्यालय में प्रस्तुत न करने के कारण अभ्यर्थी को मात्र आयोग द्वारा अनर्हता के संबंध में पूर्व में लिए गये निर्णय को यथावत रखते हुये अंतिम रूप से अनर्ह किया गया है।
9	507851	अनर्ह सूची के सापेक्ष प्रत्यावेदन/प्रमाण पत्र/अभिलेख आयोग कार्यालय में प्रस्तुत न करने के कारण अभ्यर्थी को मात्र आयोग द्वारा अनर्हता के संबंध में पूर्व में लिए गये निर्णय को यथावत रखते हुये अंतिम रूप से अनर्ह किया गया है।
10	508130	अनर्ह सूची के सापेक्ष प्रत्यावेदन/प्रमाण पत्र/अभिलेख आयोग कार्यालय में प्रस्तुत न करने के कारण अभ्यर्थी को मात्र आयोग द्वारा अनर्हता के संबंध में पूर्व में लिए गये निर्णय को यथावत रखते हुये अंतिम रूप से अनर्ह किया गया है।
11	508163	अनर्ह सूची के सापेक्ष प्रत्यावेदन/प्रमाण पत्र/अभिलेख आयोग कार्यालय में प्रस्तुत न करने के कारण अभ्यर्थी को मात्र आयोग द्वारा अनर्हता के संबंध में पूर्व में लिए गये निर्णय को यथावत रखते हुये अंतिम रूप से अनर्ह किया गया है।

क्र० सं	अनुक्रमांक	कार्यालय टीप
12	508187	अनर्ह सूची के सापेक्ष प्रत्यावेदन/प्रमाण पत्र/अभिलेख आयोग कार्यालय में प्रस्तुत न करने के कारण अभ्यर्थी को मात्र आयोग द्वारा अनर्हता के संबंध में पूर्व में लिए गये निर्णय को यथावत रखते हुये अंतिम रूप से अनर्ह किया गया है।
13	508272	अनर्ह सूची के सापेक्ष प्रत्यावेदन/प्रमाण पत्र/अभिलेख आयोग कार्यालय में प्रस्तुत न करने के कारण अभ्यर्थी को मात्र आयोग द्वारा अनर्हता के संबंध में पूर्व में लिए गये निर्णय को यथावत रखते हुये अंतिम रूप से अनर्ह किया गया है।
14	508374	अनर्ह सूची के सापेक्ष प्रत्यावेदन/प्रमाण पत्र/अभिलेख आयोग कार्यालय में प्रस्तुत न करने के कारण अभ्यर्थी को मात्र आयोग द्वारा अनर्हता के संबंध में पूर्व में लिए गये निर्णय को यथावत रखते हुये अंतिम रूप से अनर्ह किया गया है।
15	508557	अनर्ह सूची के सापेक्ष प्रत्यावेदन/प्रमाण पत्र/अभिलेख आयोग कार्यालय में प्रस्तुत न करने के कारण अभ्यर्थी को मात्र आयोग द्वारा अनर्हता के संबंध में पूर्व में लिए गये निर्णय को यथावत रखते हुये अंतिम रूप से अनर्ह किया गया है।
16	520471	अनर्ह सूची के सापेक्ष प्रत्यावेदन/प्रमाण पत्र/अभिलेख आयोग कार्यालय में प्रस्तुत न करने के कारण अभ्यर्थी को मात्र आयोग द्वारा अनर्हता के संबंध में पूर्व में लिए गये निर्णय को यथावत रखते हुये अंतिम रूप से अनर्ह किया गया है।

-Sd/
(गिरधारी सिंह रावत)
सचिव।